

11 वीं वार्षिक साधारण बैठक की सूचना

गुरुवार, दिनांक 26 जून 2014

Notice for 11th Annual General Meeting
Thursday, June 26, 2014



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra

भारत सरकार का उद्यम

एक परिवार एक बैंक

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)
(Head Office : 1501, 'Lokmangal', Shivajinagar, Pune - 411 005)

विषय-सूची

INDEX

नोटिस	3	Notice	24
टिप्पणियाँ	4	Notes	26
व्याख्यात्मक विवरण ; मद क्र. 3 अधिमान निर्गम	12	Explanatory Statement ; Item No. 3 Preferential Issue	34
मद क्र. 4 : शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन	14	Item No. 4: Election of shareholder director	36
संबंधित अधिनियमों और योजनाओं का सार	16	Extracts of relevant Acts and Schemes	38
नामांकन फॉर्म	47	Nomination Form	48
उम्मीदवार द्वारा घोषणा और वचनपत्र	49 - 51	Declaration and undertaking by the candidate	50 & 54
उपस्थिति पर्ची/प्रवेश पर्ची	57	Attendance slip / Entry Pass	58
प्रॉक्सी फॉर्म	59	Proxy form	60
कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल	61	Green Initiative in Corporate Governance	62
ईसीएस प्रारूप	63	ECS Form	63

वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 संलग्न है
ANNUAL REPORT 2013-14 ENCLOSED

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तारीखें
IMPORTANT DATES OF PROGRAMME

कार्यक्रम Event	तारीख Date
वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित रहने तथा निर्वाचन में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता के निर्धारण हेतु निर्धारित तारीख Specified date for ascertaining shareholders eligibility to attend AGM and participate in election	30 मई 2014 30 May 2014
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last date for receipt of nomination	12 जून 2014 12 June 2014
नामांकनों की संवीक्षा Scrutiny of nominations	13 जून 2014 13 June 2014
ई-वोटिंग अवधि e-voting period	20 जून 2014 को सुबह 10.00 बजे से 22 जून 2014 को सायं 5.00 बजे तक From 10 am on 20 June 2014 to 5 pm on 22 June 2014
प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने संबंधी प्रॉक्सी फॉर्म और संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तारीख Last Date for receipt of Proxy Forms and resolutions for appointing authorised representatives	21 जून 2014 को दोपहर 2.00 बजे तक 21 June 2014 by 2 pm
वार्षिक साधारण बैठक की तारीख, समय और स्थान Date Time and venue of Annual General Meeting	26 जून 2014 सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे-411005 26 June 2014 at 10.30 am, Appasaheb Joag Hall, Bank of Maharashtra, 'Lokmangal' 1501, Shivajinagar, Pune - 411005



बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

बैंक ऑफ महाराष्ट्र

(प्रधान कार्यालय: 'लोकमंगल' 1501, शिवाजीनगर, पुणे 411 005)

नोटिस

एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के शेयरधारकों की ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक गुरुवार दिनांक 26 जून 2014 को सुबह 10.30 बजे अप्पासाहेब जोग हॉल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रधान कार्यालय, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 में निम्नलिखित कारोबार करने हेतु होगी :

सामान्य व्यवसाय

- 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि खाते और 31 मार्च 2014 के तुलनपत्र, बैंक के लेखों और तुलनपत्र व लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की अवधि के दौरान बैंक की गतिविधियों तथा कार्यनिष्पादन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसे अनुमोदित व स्वीकार करना।
- 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, यदि कोई हो, की घोषणा करना और अंतरिम लाभांश के भुगतान की पुष्टि करना।

विशेष व्यवसाय :

- निम्नलिखित प्रस्ताव(वों) को यदि उचित समझा गया तो आशोधनों के साथ या आशोधन रहित विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करना:

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर्स और बैठकें) विनियम, 2004, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारत सरकार (जीओआई), भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) और/या इस संबंध में आवश्यक किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी यदि कोई हो के अधीन और इस प्रकार के अनुमोदन देने में उनके द्वारा निर्धारित किए गए आशोधनों, शर्तों और निबंधनों की शर्त पर जिन्हें बैंक का निदेशक मंडल स्वीकार कर सकता है तथा जो भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम और प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम 2009 (सेबी (आईसीडीआर) विनियम) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम और स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीकरण करार के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद जिसे “बोर्ड” कहा जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा गठित या गठित की जाने वाली कोई समिति जो इसके अधिकारों तथा संकल्प द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करेगी) को प्रदान की जाती है।”

क) सेबी (आईसीडीआर) विनियमों 2009 के विनियम 76(1) के अनुसरण में यथानिर्धारित भारत सरकार को अधिमान आधार पर भारत सरकार द्वारा धारित ₹ 588 करोड़ समग्र हेतु ₹ 10,00,000/- प्रत्येक अंकित मूल्य वाले 5880 पीएनसीपीएस के परिवर्तन द्वारा कुल ₹ 587,99,99,977.66 (रु. पांच सौ सतासी करोड़ नित्यानवे लाख नित्यानवे हजार नौ सौ सतहत्तर और छियासठ पैसे मात्र) के अंकित मूल्य ₹ 10/- प्रत्येक नकद के 13,33,63,574 इक्विटी शेयरों को रु.34.09 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित रु.44.09 के परिवर्तन मूल्य पर सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना।

ख) सेबी (आईसीडीआर) विनियमों 2009 के विनियम 76(4) के अनुसरण में यथानिर्धारित एलआईसी और/या भारतीय जीवन बीमा निगम की विभिन्न योजनाओं को अधिमान आधार पर ₹ 10/- प्रति अंकित मूल्य (रुपए दस मात्र) के कुल ₹400 करोड़ (चार सौ करोड़ मात्र) के 9,07,23,520 इक्विटी शेयरों को ₹ 34.09 प्रति शेयर के प्रीमियम सहित ₹44.09 प्रति शेयर नकद मूल्य पर सृजित, प्रस्तावित, जारी तथा आबंटित करना।

“प्रस्ताव किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण हेतु संबद्ध दिनांक 27 मई 2014 है।”

“प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक/भारत सरकार/भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/स्टॉक एक्सचेंज जहां, बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य समुचित प्राधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गम, आबंटन तथा सूचीकरण हेतु अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी प्रदान करते समय प्रस्ताव में अपेक्षित या लगाए गए किन्हीं आशोधनों को स्वीकार करने का अधिकार एवं प्राधिकार होगा।”

“यह भी प्रस्ताव है कि उक्त इक्विटी शेयर बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के अनुरूप होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप घोषित किसी प्रकार के लाभांश हेतु पात्र होंगे।”

“यह भी प्रस्ताव है कि उपर्युक्तानुसार जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयरों को उन स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा जहां

नए इक्विटी शेयरों के आबंटन के दिनांक पर बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

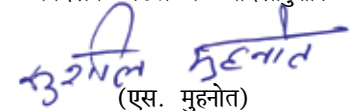
“यह भी प्रस्ताव है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एतद्वारा बोर्ड को ऐसे सभी कृत्य, कर्म, कार्य, मामले करने हेतु शेयरधारकों का अनुमोदन या सहमति लेने या प्राधिकृत करने की इच्छा जो इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा व्यक्त हो, हेतु अधिकृत किया जाता है जो उसके पूर्ण विवेक में कृत्य, कर्म, कार्य, मामले, आवश्यकतानुसार प्रलेखों तथा लिखतों को अंतिम रूप देने तथा निष्पादित करने में किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका के निपटान हेतु आवश्यक, उचित तथा वांछित हों।”

“यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि बोर्ड को एतद्वारा उसे यहां प्रदत्त किन्हीं या सभी अधिकारों को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, कार्यपालक निदेशक या बैंक का कोई अन्य अधिकारी या समिति जिसे यह उक्त संकल्प को प्रभाव देने हेतु उचित समझे प्रत्यायोजन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।”

4. केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से एक निदेशक का निर्वाचन करना जोकि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) (भविष्य में “अधिनियम” के रूप में संदर्भित) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (भविष्य में “विनियम अधिनियम” के रूप में संदर्भित), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 (भविष्य में “योजना” के रूप में संदर्भित) बैंक ऑफ महाराष्ट्र के (शेयर तथा बैठकें) विनियम 2004 (भविष्य में “विनियम” के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और अधिसूचनाएं क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवंबर 2007, भारतीय रिजर्व बैंक की दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 (भविष्य में “भारिबैं अधिसूचना” के रूप में संदर्भित) के साथ पठित और निम्नलिखित संकल्प पारित करने के द्वारा जिनके संबंध में निर्धारित अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं -

“प्रस्ताव किया जाता है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) और इसके अंतर्गत बनाए गए संगत योजना, विनियमावली और अधिसूचना तथा भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसरण में केन्द्र सरकार के अलावा बैंक शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक एतद्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए, ताकि वह निर्वाचन के दिनांक से/ निर्वाचित माने गए दिनांक से कार्यभार ग्रहण करे और वह तीन वर्षों की अवधि तक कार्यभार संभालेगा।”

निदेशक मंडल के आदेशानुसार


(एस. मुह्नोट)

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

दिनांक : 26 मई 2014

स्थान : पुणे

टिप्पणियां

1. बैठक में किए जाने वाले कामकाज संबंधी वास्तविक तथ्यों के व्याख्यात्मक विवरण यहां संलग्न हैं।
2. बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा समक्ष नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने धारित शेयरों के आधार पर बैंक के शेयरधारकों हेतु कुल 10 प्रतिशत के मतदान अधिकार से अधिक मतदान अधिकार का पात्र नहीं होगा।

उपर्युक्तानुसार, केन्द्र सरकार के अलावा प्रत्येक शेयरधारक का, जो शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, हाथ उठाकर एक मत होगा और मतदान के मामले में कुल मतदान अधिकारों के अधिकतम 10 प्रतिशत के अनुसार उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर हेतु एक मत होगा।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर व बैठकें) विनियमावली 2004 के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के नाम हो, तो मतदान के मामले में रजिस्टर में दर्ज पहले व्यक्ति को उस शेयर का एकल धारक माना जाएगा।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति

शेयरधारक जो वार्षिक साधारण बैठक में भाग लेने तथा वोट देने हेतु पात्र है वह अपने स्थान पर भाग लेने तथा वोट देने हेतु प्रॉक्सी की नियुक्ति कर सकते हैं तथा ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

प्रॉक्सी फार्म प्रभावी होने के लिए बैंक के पुणे स्थित मुख्यालय में असाधारण सामान्य बैठक के दिनांक से न्यूनतम चार दिन पहले अर्थात् शनिवार दिनांक 21 जून 2014 को बैंक के कार्य समापन समय या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

किसी कंपनी या किसी निगम निकाय जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं हो सकता या वोट नहीं दे सकता, जब तक कि वह उस बैठक के संकल्प की प्रति प्रस्तुत नहीं करता जिसमें उसे प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प पारित किया गया हो। संकल्प की प्रति उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा ही सत्यापित की जानी चाहिए तथा वह बैंक के प्रधान कार्यालय में वार्षिक साधारण बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व अर्थात् शनिवार दिनांक 21 जून 2014 को या उससे पहले बैंक के कार्य समापन समय तक या उससे पूर्व जमा की जानी चाहिए।

5. उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र

शेयरधारकों की सुविधा के लिए उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र में दिए गए स्थान पर हस्ताक्षर कर यह पर्ची साधारण सभा के स्थान पर देने की कृपा करें। प्रॉक्सी/शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति-सह-प्रवेशपत्र पर “प्रॉक्सी” या “प्राधिकृत प्रतिनिधि” जो भी स्थिति हो, उसका उल्लेख करें।

6. बहियों का बंद होना

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण रजिस्टर शनिवार 31 मई 2014 से सोमवार 02 जून 2014 (दोनों दिन मिलाकर) ग्यारहवीं वार्षिक साधारण बैठक और ई-वोटिंग द्वारा या वार्षिक साधारण बैठक में वोटिंग तथा निदेशक के निर्वाचन में सहभागिता के लिए शेयरधारकों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए बंद रहेंगे।

7. अप्रदत्त / अदावी लाभांश, यदि कुछ हो

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अधिग्रहण) अधिनियम, 1970 की धारा 10(बी) और वित्तीय संस्थान विधि (संशोधित) अधिनियम 2006 (जो दिनांक 16.10.2006 से लागू हुआ) के अनुसार लाभांश की कोई भी रकम जो कि अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित की जाती है और उस अंतरण के दिनांक से 7 वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त/अदावी रहती है तो इसे कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205 सी(1) के अंतर्गत स्थापित निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी और तत्पश्चात बैंक के प्रति इस संबंध में लाभांश के भुगतान हेतु कोई बही दावा नहीं रहेगा।

तदनुसार उक्त प्रावधानों के अनुसरण में वर्ष 2003-04 और इसके बाद के वित्तीय वर्ष से अप्रदत्त / अदावी रही लाभांश की ऐसी सभी राशियां अप्रदत्त लाभांश खाते को अंतरित किए जाने के दिनांक से सात वर्ष के पश्चात निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जाएगी।

जिन शेयरधारकों ने वित्तीय वर्ष 2012-13 तक उनका लाभांश प्राप्त नहीं किया है / भुनाया नहीं है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने वैध दावे पंजीयक और अंतरण एजेंट - एमसीएस लि. को प्रस्तुत करें।

8. शेयर अंतरण फार्म्स का प्रस्तुतीकरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र को अंतरण के लिए नीचे पैरा क्र.9 में दिए गए पते पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजा जाएगा ताकि 30 मई 2014 को या उससे पूर्व उनके कार्यालय में प्राप्त हो जाये।

9. पते में बदलाव

भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो निम्नलिखित पते पर शेयर अंतरण एजेंट और रजिस्ट्रार को भेजें:

एमसीएस लिमिटेड,
(इकाई: बैंक ऑफ महाराष्ट्र),
ऑफिस क्रमांक 21/22 ग्राउण्ड फ्लोर
काशीराम जमनादास बिल्डिंग,
5, पी.डिमेलो रोड(घड़ियाल गोदी),
मस्जिद (पूर्व) मुंबई - 400 009
फोन: (022) 2372 6253 -56
फैक्स : (022) 2372 6252
ई-मेल: uday_mcs@yahoo.in

डिमाँट रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना, यदि कोई है, तो सीधे अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेन्ट्स को दें।

10. नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवा - एन-ईसीएस/इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवाएं (ईसीएस) और बैंक के ब्योरो में परिवर्तन

बैंक सभी शेयरधारकों को, जहां उपलब्ध हो, वहां एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा। किसी केंद्र पर एन-ईसीएस/ईसीएस सुविधा न होने पर बैंक लाभांश वारंट प्रिंट कर शेयरधारकों को भेजेगा।

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सेवा सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक शेयरधारक इस रिपोर्ट के साथ संलग्न प्रारूप में बैंक को अपने ईसीएस अधिदेश के साथ अपना प्राधिकार दे सकते हैं।

बैंक में खाता रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे लाभांश का भुगतान जमा करने हेतु बैंक को अपने सीबीएस बैंक खातों के विवरण उपलब्ध कराएं।

11. शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रति वार्षिक साधारण सभा में अपने साथ लाएं।

12. लेखों के संबंध में अधिक जानकारी के इच्छुक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित निवेशक सेवाएं विभाग को इस आशय का लिखित अनुरोध इस प्रकार भेजें कि वह वार्षिक साधारण बैठक की दिनांक से एक सप्ताह पूर्व उन्हें मिल जाए ताकि प्रबंधन सूचनाएं तैयार रख सके। शेयरधारक नोट करें कि सूचनाएं/स्पष्टीकरण केवल वार्षिक साधारण बैठक में ही उपलब्ध कराए जाएंगे।

13. ई-वोटिंग

बैंक ने सहर्ष अपने सभी सदस्यों को एक वैकल्पिक रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की है, ताकि दिनांक 26 मई 2014 के वार्षिक साधारण बैठक नोटिस (एजीएम नोटिस) में वर्णित अनुसार प्रस्तावों के बारे में इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान कर सकें। ई-वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से पूरा करने के लिए बैंक ने प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव श्री राघवेंद्र जोशी (आपटे जोशी एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, पुणे के भागीदार) को संवीक्षक नियुक्त किया है। ई-वोटिंग वैकल्पिक है। शेयरधारकों/लाभार्थी स्वामियों के ई-वोटिंग अधिकारों का निर्धारण दिनांक 30 मई, 2014 को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर होगा।

सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं :

क. ई-मेल प्राप्तकर्ता सदस्यों के मामले में :

- यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं और आपने www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है और किसी भी कंपनी के लिए ईवीएसएन हेतु मतदान किया है तो आपका वर्तमान लॉग-इन आईडी और पासवर्ड प्रयोग किया जाए।
- ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें।
- मतदान करने हेतु 'शेयरधारक' बटन पर क्लिक करें।
- ड्राप डाउन मेन्यू से कंपनी के नाम के साथ 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग क्रमांक' (ईवीएसएन) का चयन करके 'सबमिट' बटन क्लिक करें।
- अब दिए गए बॉक्स में निम्नलिखित विवरण भरें :

	डी-मैट रूप में शेयरधारक सदस्यों हेतु	भौतिक रूप में शेयरधारक सदस्यों हेतु
यूजर-आईडी	एनएसडीएल हेतु - 8 वर्णीय डीपीआईडी और 8 अंकीय क्लाइंट आईडी सीडीएसएल हेतु - 16 अंकीय लाभार्थी आईडी	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो क्रमांक
स्थाई खाता (पैन) क्रमांक*	ई-वोटिंग करते समय प्रणाली द्वारा मांगने पर आयकर विभाग द्वारा जारी 10 एल्फा-न्यूमेरिक पैन क्रमांक डालें (डी-मैट शेयरधारकों और भौतिक शेयरधारकों, दोनों के लिए लागू)	
जन्मदिनांक#	उक्त डी-मैट खाते अथवा फोलियो हेतु दिन/माह/वर्ष प्रारूप में अपना जन्मदिनांक डालें, जो आपके डीमैट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज हो।	
लाभांश बैंक विवरण#	उक्त डी-मैट खाते अथवा फोलियो हेतु लाभांश बैंक का विवरण डालें, जो आपके डी-मैट खाते अथवा कंपनी अभिलेख में दर्ज हो।	

* ऐसे सदस्यों, जिन्होंने बैंक/निक्षेपक भागीदार के पास अपना स्थायी खाता क्रमांक (पैन) नोट नहीं कराया है, से अनुरोध है कि वे पैन क्रमांक के स्थान पर "BOMEV1234Z" डालें।

लॉग-इन हेतु कृपया कोई एक ब्यौरा डालें। यदि किसी मामले में कोई भी ब्यौरा डिपॉजिटरी के पास दर्ज न हो तो कृपया जन्मदिनांक कॉलम में '01/01/1990' अथवा लाभांश बैंक के विवरण कॉलम में 'धारित शेयरों की संख्या' डालें। उदाहरणार्थ, यदि आपके पास 100 शेयर हैं तो 'धारित शेयरों की संख्या' कॉलम में 100 डालें।

- vi. यह विवरण समुचित रूप से भरने के बाद "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
 - vii. इसके बाद, शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप के शेयर हैं, सीधे ईवीएसएन चयन स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। जबकि डी-मैट स्वरूप के शेयरधारक अब 'पासवर्ड क्रीएशन' मेन्यू में पहुंच जाएंगे। इस नये पासवर्ड फील्ड में उन्हें अनिवार्यतः अपना लॉग-इन पासवर्ड डालना होगा। नया पासवर्ड न्यूनतम आठ वर्णीय होना चाहिए, जिसमें न्यूनतम एक कैपिटल (A-Z) लेटर, एक नॉर्मल (a-z) लेटर, एक (0-9) संख्या और एक विशेष चिन्ह (स्पेशल कैरेक्टर -@#%&★) होना आवश्यक है। कृपया नोट करें कि यही पासवर्ड डी-मैट शेयरधारकों द्वारा किसी अन्य कंपनी के प्रस्ताव(वों), जिसके मतदान के वे पात्र हों, हेतु भी प्रयोग किया जाना है, बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो। हमारी पुरजोर सिफारिश है कि अपना पासवर्ड किसी भी अन्य व्यक्ति को न बताएं और पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने का विशेष ध्यान रखें। कृपया नोट करें कि यह बदला हुआ पासवर्ड डी-मैट शेयरधारकों द्वारा कंपनी या किसी अन्य कंपनी के प्रस्ताव(वों), जिसके मतदान के वे पात्र हों, हेतु भी प्रयोग किया जाना है, बशर्ते कि उस कंपनी ने सीडीएसएल प्लैटफॉर्म के माध्यम से ई-वोटिंग का विकल्प लिया हो।
 - viii. मतदान हेतु चयनित ईवीएसएन पर क्लिक करें।
 - ix. वोटिंग पृष्ठ पर आपको प्रस्ताव का ब्यौरा मिलेगा और उसके सामने मतदान हेतु 'हां'/'नहीं' का विकल्प दिया गया होगा। आपकी इच्छानुसार विकल्प 'हां'/'नहीं' का चुनाव करें। 'हां' विकल्प का अर्थ है कि आप प्रस्ताव से सहमत हैं और 'नहीं' विकल्प का अर्थ है कि आप इससे असहमत हैं।
 - x. हां/नहीं विकल्प में अपने शेयरों (जो आपके मतों (वोट) की संख्या दर्शाते हैं) की संख्या डालें अथवा आप 'हां' और 'नहीं' में कोई भी संख्या डाल सकते हैं, लेकिन 'हां' और 'नहीं' में डाली गई कुल संख्या आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - xi. यदि आप सभी प्रस्ताव देखना चाहते हैं तो कृपया 'प्रस्ताव (रिजॉल्यूशन) फाईल लिंक' पर क्लिक करें।
 - xii. उस प्रस्ताव, जिस पर मतदान का आपने निर्णय लिया हो, का चयन करने के बाद 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। मत की पुष्टि के लिए एक बॉक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप मत की पुष्टि करना चाहते हैं तो 'ठीक है' (ओके) पर क्लिक करें, अन्यथा 'निरस्त' (कैन्सल) पर क्लिक करें और उसके बाद संशोधित मत डालें।
 - xiii. प्रस्ताव पर मत की पुष्टि करने के बाद मत में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
- ख. वार्षिक साधारण बैठक के नोटिस की भौतिक प्रति प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में (उन सदस्यों के लिए जिनका ई-मेल आईडी कंपनी/निक्षेपक भागीदार(रों) के पास पंजीकृत नहीं है या उन्होंने भौतिक प्रति का अनुरोध किया हो।
- क. मतदान हेतु कृपया ऊपर दिए गए क्रमांक (ii) से (xiii) तक के सभी चरणों का अनुपालन करें।
 - ख. संस्थागत शेयरधारक (वैयक्तिक, हिंदू अविभाजित परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोड़कर) के लिए आवश्यक है कि वे <https://www.evotingindia.co.in> पर लॉगऑन करके स्वयं को पंजीकृत करें, उस खाते को लिंक करें जहां वे मतदान के इच्छुक हों और उसके बाद अपना मतदान करें। मत का सत्यापन करने हेतु संवीक्षक हेतु निदेशक मंडल प्रस्ताव की पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन की गई प्रति सिस्टम में अपलोड करें।
 - ग. वोटिंग अवधि शुक्रवार दिनांक 20 जून 2014 प्रातः 10.00 बजे से आरंभ होकर रविवार दिनांक 22 जून 2014 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के शेयरधारक चाहे उनके पास भौतिक फॉर्म या डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म के शेयर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कट-ऑफ (अभिलेख दिनांक) 30 मई 2014 को अपना मतदान कर सकते हैं। यह अवधि बीत जाने पर सीडीएसएल द्वारा वोटिंग मॉड्यूल निष्क्रिय (डिसेबल) कर दिया जाएगा। किसी प्रस्ताव पर शेयरधारक द्वारा मतदान करने के बाद उसमें संशोधन की अनुमति नहीं होगी।
 - घ. ई-वोटिंग के बारे में यदि आपकी कोई शंका या मुद्दे हैं तो आप बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न और ई-वोटिंग मैनुअल, जो www.evotingindia.com के हेल्प सेक्शन में उपलब्ध है, की सहायता लें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेजें।

ग. सामान्य अनुदेश :

- क. इस फोलियो के उपयोगकर्ता (यूजर) प्रोफाइल में आप अपना मोबाईल नंबर और ई-मेल आईडी दे सकते हैं। भविष्य में सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग की सूचना भेजने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकेगा। यदि सदस्य पासवर्ड भूल जाएं और इसे रिसेट करना पड़े, तब भी यह जानकारी उपयोगी रहेगी।
- ख. आपको सूचित किया जाता है कि आप केवल एक माध्यम (ई-वोटिंग अथवा वार्षिक साधारण बैठक के समय मतदान) से ही मतदान करें। यदि आप दोनों माध्यमों से मतदान करते हैं तो केवल ई-वोटिंग के माध्यम से किए गए मतों पर ही विचार किया जाएगा और बैठक के दौरान दिए गए आपके मत खारिज हो जाएंगे।
- क. ऐसे सदस्य जिनका ई-मेल पता बैंक अथवा उनके भागीदार निक्षेपक के पास पंजीकृत है, को वार्षिक रिपोर्ट, उपस्थिति पर्ची एवं प्रॉक्सी फॉर्म सहित वार्षिक साधारण सभा का नोटिस ई-मेल द्वारा और अन्य को डाक/कोरियर द्वारा भेजा जा रहा है।

घ. संवीक्षक का ईमेल पता : bomevoting@aptejoshi.com है।

14. शेयरधारक निदेशक के पद हेतु चुनाव में भाग लेने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से विनिर्दिष्ट दिनांक।

दिनांक 20 मई 2014 के नोटिस द्वारा दी गई घोषणा, जो दिनांक 21 मई 2014 के समाचारपत्र में प्रकाशित हुई, वार्षिक साधारण बैठक और चुनाव में अर्थात् नोटिस में दिए अनुसार केन्द्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों के एक प्रतिनिधि निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने के पात्र शेयरधारकों के नामों के निर्धारण हेतु 30 मई 2014 को विनिर्दिष्ट दिनांक ठहराया गया है।

15. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु अपेक्षित अर्हता

- अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो निदेशक बनने का इच्छुक है, उससे निम्नानुसार अपेक्षित है -
 - (क) उसे निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए :
 - कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था
 - बैंकिंग
 - सहकारिता
 - अर्थशास्त्र
 - वित्त
 - विधि
 - लघु उद्योग
 - अन्य किसी भी विषय के संबंध में विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार बैंक के लिए उपयोगी होगा
 - (ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, या
 - (ग) किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हो
- अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार बैंक का शेयरधारक कोई उम्मीदवार जो कि बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक हो उसे “उपयुक्त और उचित” (फिट एंड प्रॉपर) स्थिति में होना चाहिए। साथ ही, चुने गए निदेशक द्वारा प्रसंविदा का विलेख निष्पादित करना चाहिए और उनसे यह अपेक्षित है कि इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणा प्रस्तुत करें।

16. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यता

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 10 के अनुसार कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने तथा निदेशक बनने से अयोग्य ठहराया जाएगा -

- (क) यदि वह किसी समय दिवालिया करार कर दिया गया हो या उसने लेनदारों का भुगतान रोक रखा हो या इससे संबद्ध हो, या
- (ख) यदि वह अस्वस्थ दिमाग का पाया गया हो और किसी सक्षम न्यायालय ने इस बात की घोषणा की हो, या

- (ग) यदि किसी नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध में किसी न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया हो, या
- (घ) यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी अनुषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता है, किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के खंड (ई) व (एफ) के अंतर्गत बैंक के नामित बैंक के कर्मचारियों में से प्रबंध निदेशक और निदेशकों को सम्मिलित करते हुए पूर्णकालिक निदेशक का पद छोड़कर धारित करता है तथा
- (ङ) यदि उसे भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 1 नवंबर 2007 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08, व दिनांक 23 मई 2011 की अधिसूचना क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 के अनुसार उचित और उपयुक्त व्यक्ति नहीं पाया गया।

17. निदेशक का कार्यकाल

बैंक के बोर्ड में उत्पन्न शेयरधारक निदेशक की रिक्ति को भरने के लिए चुने गए निदेशक को 14 जून 2014 से कार्यग्रहण करना माना जाएगा (यदि 13.06.2014) को नामांकनों की संवीक्षा के उपरांत यदि केवल एक वैध उम्मीदवार पाया गया)। यदि संवीक्षा के उपरांत एक से अधिक उम्मीदवार वैध पाए गए, तो एक निदेशक की रिक्ति को बैठक के दिनांक को भरा जाएगा और नए निदेशक 27 जून 2014 को कार्यभार संभालेंगे।

योजना की धारा 11-बी (2) के अनुसार इस प्रकार चुना गया व्यक्ति 27 जून 2014 से 3(तीन) वर्ष की अवधि अर्थात् 26 जून 2017 तक कार्यभार संभालेगा।

शेयरधारकों का ध्यान अधिनियम की धारा 9(3बी) की ओर आकर्षित किया जाता है जो कि अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत इस प्रकार चुने गए निदेशक जो कि उक्त अधिनियम धारा 9(3ए) के अनुसार आवश्यकताएं पूरी नहीं करता, को हटाने के भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार से संबंधित है।

18. प्रतियोगी शेयरधारकों की सूची

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बंधकों) विनियमावली 2004 के विनियम 64 में दी गई व्यवस्था के अनुसार शेयरधारकों को चुनाव लड़ने में मदद करने की दृष्टि से शेयरधारकों की निर्दिष्ट दिनांक अर्थात्, **शुक्रवार 30 मई 2014** तक अद्यतन सूची बैंक के प्रधान कार्यालय, निवेशक सेवाएं विभाग, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 से उपलब्ध होगी। इसकी एक प्रतिलिपि, **सोमवार, 02 जून 2014** से, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**, पुणे पर संदेय किसी भी अनुसूचित बैंक का रु.1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) का मांग ड्राफ्ट/ पे आर्डर जमा कर और सॉफ्ट प्रति के लिए रु.25,000/- (रुपए पच्चीस हजार मात्र) के पूर्व भुगतान पर प्राप्त कर सकते हैं।

19. शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर भी बैंक के प्रधान कार्यालय में निरीक्षण के लिए सभी कार्यदिवसों पर (रविवार और बैंक अवकाश छोड़कर) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार को दोपहर 3.00 से सायं 5.00 बजे तक तथा शनिवार को प्रातः 11.00 से दोपहर 1.00 बजे तक उपलब्ध होगा। यदि कोई शेयरधारक रजिस्टर की अथवा इसके किसी भाग की प्रतियों की अथवा कंप्यूटर मुद्रित प्रतियों की मांग करता है, तो प्रतियां लिए जाने वाले प्रति हजार शब्दों या उसके अंश के लिए रु.5.00 के पूर्व भुगतान पर उसे इसकी आपूर्ति की जाएगी।

20. चुनाव में सहभागिता

ऐसे शेयरधारक जिनके नाम शुक्रवार 30 मई 2014 को एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरडीए द्वारा प्रस्तुत अनुसार सदस्यों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में उपलब्ध हैं, वे केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों के बीच निदेशक के चुनाव में भाग लेने अर्थात्, नामांकन, चुनाव लड़ने और मतदान करने के लिए पात्र होंगे।

विनियम 68 के अनुसार बैठक के दिनांक से पूर्व विनिर्दिष्ट दिनांक (अर्थात् शुक्रवार 30 मई 2014) को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत प्रत्येक शेयरधारक को हाथ उठाकर एक वोट देने का अधिकार होगा और मतदान की स्थिति में अधिनियम की धारा 3 (2ई) के अंतर्गत निर्धारित अनुसार मतदान के समग्र सीमा के अधीन उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट का अधिकार होगा।

21. चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन

बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बंधकों) विनियमावली 2004 के विनियम 65 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र. डीबीओडी क्र. बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र. डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन निम्न के अधीन वैध होगा:

- (क) उसकी शेयरधारक के रूप में धारिता शुक्रवार 30 मई 2014 को चुनाव में सहभागिता हेतु निर्दिष्ट दिनांक के रूप में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में न्यूनतम 100 शेयर भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक/ बेकागजीकृत रूप में होनी चाहिए और गुरुवार 26 जून 2014 तक यदि वह चुना जाता है तो उसके पश्चात न्यूनतम 100 शेयर उसके पास होने चाहिए।
- (ख) नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम दिनांक अर्थात् गुरुवार 12 जून 2014 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के अनुसार तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना क्र.डीबीओडी क्र.बीसी.क्र.46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा क्र.डीबीओडी.बीसी.क्र.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 या बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 के अनुसार उसे निदेशक बनने से अयोग्य घोषित नहीं किया जाना चाहिए।
- (ग) उसके द्वारा धारित शेयरों के संबंधों में कोई बकाया मांग नहीं होनी चाहिए।
- (घ) अधिनियम के अंतर्गत निदेशक का चयन करने के लिए पात्र कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत गठित अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन, बशर्ते कि एक कंपनी के रूप में शेयरधारकों द्वारा नामांकन उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए संकल्प से किया जा सकता है, और इस संकल्प की सत्य प्रति के रूप में बैठक, जिसमें कि यह पारित हुआ हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रति महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को प्रेषित की जाएगी और ऐसी प्रति को इस प्रकार की कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा।
- (ङ) शेयरधारकों (न्यूनतम 100) द्वारा नामांकन, उम्मीदवार के वैयक्तिक ब्यौरे सहित घोषणा के साथ होना चाहिए जो कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या रिजर्व बैंक के अधिकारी या अन्य राजपत्रित अधिकारी या एश्योरेन्स के पंजीयक या उप पंजीयक, मैजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, के समक्ष उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, इस सूचना में प्रस्तुत घोषणा और नामांकन के नमूने फॉर्म के अनुसार होना चाहिए और यह कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा चुनाव में खड़े रहने के लिए इच्छुक है और यह कि वह बैंककारी विनियम अधिनियम 1949 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 व राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना 1970 या बैंक ऑफ महाराष्ट्र (शेयर तथा बैठकें) विनियमावली 2004 के अंतर्गत निदेशक बनने के अयोग्य नहीं किया गया है और यह कि उसने अपने वैयक्तिक ब्यौरे जो कि उसकी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है संलग्न किए हैं और यह कि वह घोषणा के अनुवर्तन में जानकारी से संगत कोई भी बात यथासंभव यथाशीघ्र बैंक को पूर्णतः अवगत करने की वचनबद्धता करता है।
- (च) नामांकन फॉर्म और घोषणा फॉर्म विनियम द्वारा निर्धारित अनुसार तथा संलग्न प्रपत्र के अनुसार हैं (प्रपत्र बैंक की वेबसाइट www.bankofmaharashtra.in पर भी उपलब्ध है)।

22. नामांकन फॉर्मों का प्रस्तुतीकरण

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशक के चुनाव में भाग लेने के इच्छुक शेयरधारक केन्द्र सरकार के अलावा तथा इसके अंतर्गत उल्लेख की गई शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त शेयरधारक कृपया सूचना में संलग्न किए गए प्रपत्र में सीलबंद लिफाफे में जिस पर यह विशेष रूप से लिखा गया हो **“शेयरधारक निदेशक हेतु नामांकन - एजीएम 2014”** महाप्रबंधक, वित्तीय प्रबंधन व लेखा विभाग, प्रधान कार्यालय, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे - 411 005 को हर तरह से पूर्ण संबंधित/ संगत प्रलेख सहित वार्षिक साधारण बैठक हेतु निर्धारित दिनांक से **कम से कम 14 दिन पूर्व** अर्थात् गुरुवार 12 जून 2014 को बैंक के कार्यसमय के समापन अर्थात् सायं. 5.00 बजे से पूर्व निम्नलिखित प्रस्तुत करें और ऐसा न करने पर नामांकनों को अस्वीकार किया जा सकता है।

- (क) विधिवत भरे हुए घोषणा फॉर्म
- (ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से नामांकन
- (ग) वैयक्तिक जानकारी, घोषणा और वचनपत्र (पीडीयू फॉर्म) और इसके साथ संबंधित दस्तावेज, विवरण पत्र यथा बायोडेटा, शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि के प्रमाण पत्र

23. नामांकनों की संवीक्षा

- (i) नामांकनों की संवीक्षा नामांकनों के प्राप्त होने के लिए निर्धारित अंतिम दिनांक के आगामी पहले कार्यदिवस अर्थात् शुक्रवार 13 जून 2014 को की जाएगी और कोई नामांकन वैध न पाए जाने की स्थिति में इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए इसे अस्वीकृत किया जाएगा।